निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 04 / अपील / 18

उनवान अपील

रेखा पुत्री अरविन्द कुमार पत्नी महेन्द्र भूषण जाति जैन महाजन निवासी साकेत नगर झालावाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

01. कुसुमलता पत्नी राजेन्द्र कुमार जैन पुत्री अरविन्द कुमार जैन जाति महाजन निवासी हाल 2 ब 10 दादाबाड़ी विस्तार कोटा,जिला कोटा
02. अर्चना पत्नी राजीव गोदिका पुत्री अरविन्द कुमार जाति जैन महाजन निवासी 2 ग 23 जवाहर नगर जयपुर
03. तृप्ति पत्नी प्रभात सक्सेना पुत्री अरविन्द कुमार जाति जैन महाजन निवासी राज निकेतन,डिप्टी जी का मन्दिर बाउन्ड्री के पास झालावाड
04. दिनेश पुत्र अरविन्द कुमार जाति जैन महजन निवासी ओल्ड ब्लाक स्कूल की गली,मोटर गैराज झालावाड़
05. राकेश पुत्र अरविन्द कुमार जाति जैन महाजन निवासी ओल्ड ब्लाक स्कूल की गली मोटर गैराज झालावाड़
06. कमला बाई पत्नी स्व0अरविन्द कुमार जाति जैन महाजन निवासी ओल्ड ब्लाक गली,मोटर गैराज झालावाड़
07. आलोक प्रकाश पुत्र आदित्य प्रकाश जाति महाजन निवासी 47 शांति नगर रेलवे रोड़ मेरठ जिला मेरठ(यू0पी0)
08. आकाश प्रकाश पुत्र आदित्य प्रकाश जाति महाजन निवासी 47 शांति नगर रेलवे रोड़ मेरठ जिला मेरठ(यू0पी0)
09. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन

(रेस्पोंडेण्ट्स)

अपील बनाराजगी आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील झालरापाटन दिनांक 12.05.08 प्र0स0 15 / 08 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 486 दिनांक 22.12.2010 तस्दीक किया गया,को निरस्त किये जाने बाबत।

मि0नं0 05 / अपील / 18

उनवान अपील

रेखा पुत्री अरविन्द कुमार पत्नी महेन्द्र भूषण जाति जैन महाजन निवासी साकेत नगर झालावाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

01. कुसुमलता पत्नी राजेन्द्र कुमार जैन पुत्री अरविन्द कुमार जैन जाति महाजन निवासी हाल 2 ब 10 दादाबाड़ी विस्तार कोटा,जिला कोटा
02. अर्चना पत्नी राजीव गोदिका पुत्री अरविन्द कुमार जाति जैन महाजन निवासी 2 ग 23 जवाहर नगर जयपुर
03. तृप्ति पत्नी प्रभात सक्सेना पुत्री अरविन्द कुमार जाति जैन महाजन निवासी राज निकेतन,डिप्टी जी का मन्दिर बाउन्ड्री के पास झालावाड

जिला कलक्टर
झालावाड़

04. दिनेश पुत्र अरविन्द कुमार जाति जैन महजन निवासी ओल्ड ब्लाक स्कूल की गली,मोटर गैराज झालावाड़
05. राकेश पुत्र अरविन्द कुमार जाति जैन महाजन निवासी ओल्ड ब्लाक स्कूल की गली मोटर गैराज झालावाड़
06. कमला बाई पत्नी स्व0अरविन्द कुमार जाति जैन महाजन निवासी ओल्ड ब्लाक गली,मोटर गैराज झालावाड़
07. आलोक प्रकाश पुत्र आदित्य प्रकाश जाति महाजन निवासी 47 शांति नगर रेलवे रोड़ मेरठ जिला मेरठ(यू0पी0)
08. आकाश प्रकाश पुत्र आदित्य प्रकाश जाति महाजन निवासी 47 शांति नगर रेलवे रोड़ मेरठ जिला मेरठ(यू0पी0)
09. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन

(रेस्पोंडेण्ट्स)

अपील बनाराजगी आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील झालरापाटन दिनांक 12.05.08 प्र0स0 15/08 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 413 दिनांक 23.12.2010 तस्दीक किया गया,को निरस्त किये जाने बाबत।

उपस्थितः— श्री मनोज शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
श्री राकेश जैन(रेस्पो0 5 स्वंय)

—: निर्णय :— दिनांकः 23.09.2021

उपरोक्त दोनो अपीलों के तथ्य लगभग एक समान होने पक्षकारान भी एक ही होने के साथ—साथ योग्य अभिभाषक फरीकेन द्वारा दोनो प्रकरणो में एक समान बहस की जाने से इन दोनो अपीलों का निर्णय एक साथ ही पारित किया जा रहा है— **मिसल न0 4/अपील/18** के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार झालरापाटन द्वारा दिनांक 12.05.2008 को प्रकरण संख्या 15 में पारित निर्णय की पालना में नायब तहसीलदार असनावर द्वारा ग्राम पनवासा तहसील असनावर की आराजी खाता न0 नया 54 पुराना 49 खसरा न0 148 रकबा 4.16 बीघा,खसरा न0 182 रकबा 0.15 बीघा,ख0न0 184 रकबा 0.11 बीघा,ख0न0 185 रकबा 0.04 बीघा,ख0न0 186 रकबा 3.05 बीघा, ख0न0 187 रकबा 5.14 बीघा, ख0न0 188 रकबा 2.17 बीघा,ख0न0 203 रकबा 0.15 बीघा,ख0न0 206 रकबा 0.04 बीघा,ख0न0 207 रकबा 0.06 बीघा,ख0न0 209 रकबा 6.19 बीघा कुल किता 11 रकबा 26.06 बीघा का नामान्तरकरण संख्या 486 दिनांक 22.12.2010 को तस्दीक किया गया से अप्रसन होकर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील मेंमों में निवेदन किया है कि उक्त आराजी प्रार्थी अपीलान्ट की पुश्तेनी आराजी है । उक्त आराजी को रेस्पो0 4,5,6 को स्व0 अरविन्द कुमार पुत्र दाडमचन्द की मृत्यु उपरान्त प्राप्त हुई जबकि स्व0अरविन्द कुमार के अन्य वारिसान अपीलान्ट, रेस्पो0 न0 1,2,3, एवं 7 व 8 की माताजी श्रीमति कुमुदलता पुत्री अरविन्द पत्नी आदित्य प्रकाश को आदेश एंव इन्तकाल के समय कोई जानकारी नही दी गई। रेस्पो0 4,5 व 6 द्वारा अनुचित तरीके से दस्तावेज रचित कर उक्त आदेश पारित करवा लिया। उक्त आराजी अपीलान्ट व रेस्पो0 1 लगायत 8 की पुश्तैनी सम्पत्ति है। अपीलान्ट व रेस्पो0 4,5 के पिता व रेस्पो06

के पति लम्बे समय तक बिमार व अस्वस्थ रहे जहा रेस्पो0 4,5,6 द्वारा साजकर सुनियोजित तरीके से उनके हस्ताक्षर करवा लिये व उनकी मृत्यु दिनांक 28.10.2006 के पश्चात नोटेरी पब्लिक व गवाह हेमन्त जैन से मिलीभगत कर वसीयत का रूप दे दिया। उनके द्वारा मृत्यु दिनांक 28.10.2006 के लम्बे समय बाद रेस्पो0 9 तहसीलदार झालरापाटन के समक्ष फर्जी वसीयत प्रस्तुत कर अनुचित आदेश दिनांक 12.05.2008 प्राप्त किया जिस पर इन्तकाल क्रमांक 486 दिनांक 22.12.2010 तस्दीक किया गया। तहसीलदार झालरापाटन द्वारा उक्त आराजी के अन्य वारिसान को सुने बिना ही निर्णय पारित किया गया जो निरस्त योग्य है व उक्त निर्णय के उपरान्त तस्दीक नामान्तरकरण 486 दिनांक 22.12.2010 निरस्त किया जावे ।

मिसल न0 5/अपील/08 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार झालरापाटन द्वारा दिनांक 12.05.2008 को प्रकरण संख्या 15 में पारित निर्णय की पालना में नायब तहसीलदार असनावर द्वारा ग्राम आकोदिया तहसील असनावर की आराजी खाता न0 नया 38 पुराना 2 खसरा न0 187 रकबा 1.06 बीघा,खसरा न0 189 रकबा 0.17 बीघा,ख0न0 190 रकबा 2.19 बीघा,ख0न0 191 रकबा 0.03 बीघा,ख0न0 192 रकबा .17 बीघा, ख0न0 193 रकबा 17.03 बीघा, ख0न0 194 रकबा 6.11 बीघा,ख0न0 195 रकबा 1.12 बीघा,ख0न0 197 रकबा 0.11 बीघा,ख0न0 204 रकबा 3.12 बीघा कुल रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 413 दिनांक 23.12.2010 को तस्दीक किया गया से अप्रसन होकर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील मेमो में निवेदन किया है कि उक्त आराजी प्रार्थी अपीलान्ट की पुश्तेनी आराजी है । उक्त आराजी को रेस्पो0 4,5,6 को स्व0 अरविन्द कुमार पुत्र दाडमचन्द की मृत्यु उपरान्त प्राप्त हुई जबकि स्व0अरविन्द कुमार के अन्य वारिसान अपीलान्ट, रेस्पो0 न0 1,2,3, एवं 7 व 8 की माताजी श्रीमति कुमुदलता पुत्री अरविन्द पत्नी आदित्य प्रकाश को आदेश एंव इन्तकाल के समय कोई जानकारी नही दी गई। रेस्पो0 4,5 व 6 द्वारा अनुचित तरीके से दस्तावेज रचित कर उक्त आदेश पारित करवा लिया। उक्त आराजी अपीलान्ट व रेस्पो0 1 लगायत 8 की पुश्तैनी सम्पत्ति है। अपीलान्ट व रेस्पो0 4,5 के पिता व रेस्पो06 के पति लम्बे समय तक बिमार व अस्वस्थ रहे जंहा रेस्पो0 4,5,6 द्वारा साजकर सुनियोजित तरीके से उनके हस्ताक्षर करवा लिये व उनकी मृत्यु दिनांक 28.10.2006 के पश्चात नोटेरी पब्लिक व गवाह हेमन्त जैन से मिलीभगत कर वसीयत का रूप दे दिया। उनके द्वारा मृत्यु दिनांक 28.10.2006 के लम्बे समय बाद रेस्पो0 9 तहसीलदार झालरापाटन के समक्ष फर्जी वसीयत प्रस्तुत कर अनुचित आदेश दिनांक 12.05.2008 प्राप्त किया जिस पर इन्तकाल क्रमांक 413 दिनांक 23.12.2010 तस्दीक किया गया। तहसीलदार झालरापाटन द्वारा उक्त आराजी के अन्य वारिसान को सुने बिना ही निर्णय पारित किया गया जो निरस्त योग्य है व उक्त निर्णय के उपरान्त तस्दीक नामान्तरकरण 413 दिनांक 23.12.2010 निरस्त किया जावे ।

प्रकरण सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई व रेस्पो0 को तलब किया गया। रेस्पो0 5 स्वयं उपस्थित हुए बाकी रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए । दिनांक 25.03.2019 को रेस्पो0 6 के फोत होने की सूचना रेस्पो0 5 द्वारा

प्रस्तुत की गई किन्तु रेस्पो0 6 के कायम मुकामान पूर्व से ही पत्रावली पर होने से कोई अग्रिम कार्यवाही नही की गई। अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामील पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों व लिखित बहस की पुष्ठी करते हुए व्यक्त किया कि पुश्तेनी आराजी बाबत हिन्दु मृतक के वारिसान जो हितबद्ध पक्षकार हैं उन्हे पक्षकार बनाये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जिसकी पालना में दर्ज नामान्तरकरण खारिज किया जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जावे। रेस्पो0 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पिता का तथाकथित वसीयतनामा रेस्पो0 न0 5 द्वारा प्रभावित है। मृतक स्व0 अरविन्द स्वंय अधिवक्ता थे उनके द्वारा सादे कागज पर वसीयत की गई है जो मान्य नही है।

इस पर रेस्पो0 न0 5 द्वारा लिखित बहस की पुष्ठी करते हुए व्यक्त किया कि स्व0 अरविन्द स्वंय अधिवक्ता थे व उनके द्वारा अपनी पुत्री कुसुमलता के घर जो कोटा निवास करती हैं उनकी उपस्थिति में दो गवाह के समक्ष वसीयत रेस्पो0 न0 4,5 व 6 के नाम की गई थी इस बाबत कि वसीयत सही है कुसुमलता द्वारा घोषणा पत्र भी दिया गया है। अपीलान्टा को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है क्यों कि उनके द्वारा पिताजी के जीवित रहते ही अक्टूबर 1998 में हिस्सा नही लेने बाबत तहरीर लिख कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई वसीयत में गवाह के बयानात लिये जाकर निर्णय पारित किया गया है और उसी निर्णय के आधार पर नायब तहसीलदार असनावर द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो उचित है। नामान्तरकरण एक सरसरी प्रकिया है इसमें किसी के अधिकार तय नही होते है। अपीलान्टा अगर वसीयत को गलत मानती हैं तो सिविल कोर्ट में जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है,अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलियों का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर गौर किया– दोनो अपीलों में अपीलान्टा यह कहकर आयी है कि ग्राम आकोदिया व पनवासा की आराजी पुश्तेनी थी व रेस्पो0 न0 5 द्वारा अपीलान्टा के पिता स्व0 अरविन्द कुमार की मृत्यु दिनांक 28.10.2006 को होने के उपरान्त तथाकथित गलत वसीयत दिनांक 26.03.2006 के आधार पर तहसीलदार झालरापाटन के समक्ष दिनांक 10.01.2008 को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.05.2008 को निर्णय पारित करवा लिया व ग्राम पनवासा की आराजी का नामान्तरकरण 486 दिनांक 22.12.2010 को प्रशासन गांव के सग अभियान केम्प पनवासा में इसी प्रकार ग्राम आकोदिया की आराजी का नामान्तरकरण 413 दिनाकः 23.12.2010 को प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प इकतासा में तस्दीक करवाया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तो जाहिर है कि जो नामान्तरकरण नायब तहसीलदार द्वारा तस्दीक किये गये हैं वे सिर्फ तहसीलदार झालरापाटन द्वारा मिसल न0 15/08 में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2008 की पालना में प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान लगभग 31 माह पश्चात तस्दीक किये गये हैं जबकि तहसीलदार झालरापाटन द्वारा प्रकरण दिनांक 10.01.2008 को दर्ज कर रेकार्ड की जांच /गवाहों के बयानात व अन्य कार्यवाही सम्पादित कर दिनांक 27.03.2008 तक

(77 दिन में)सुनवाई भी पूर्ण करली गई व सुनवाई के 46 दिन पश्चात दिनांक 12.05.2008 को निर्णय पारित किया गया व इसी क्रम में दिनांकः 19.05.2008 को नायब तहसीलदार असनावर को निर्णय की प्रति व वसीयत की प्रति पालनार्थ भी भिजवादी गई। नायब तहसीलदार द्वारा लगभग 31 माह पश्चात प्रशासन गांव के संग अभियान में नामान्तरकरण तस्दीक करना, तहसीलदार द्वारा प्रकरण में मात्र गवाहान के बयान दर्ज करवाना अन्य पक्षकारान को सूचना तक नही दिया जाना अपने आप में संशय उत्पन्न करता है। तहसीलदार झालरापाटन को मृतक के सभी वारिसान को सुनकर निर्णय पारित करना चाहिये था। चुंकि मृतक स्वंय एडवोकेट होने से वसीयत के बारे में भली भांति जानते होगें फिर उसे रजिस्टर्ड क्यों नही कराया, यद्यपि वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नही है। तहसीलदार झालरापाटन को निर्णय में मृतक को पूरी पेतृक भूमि की वसीयत करने का अधिकार था या नही इस बाबत विवेचन करना चाहिये था जो नही किया। पेतृक भूमि पर मृतक अपने हिस्से की वसीयत कर सकता है। अन्य वारिसान केवल रिलीज से पेतृक भूमि पर अपना हक त्याग कर सकते थे इस बिन्दु को अनदेखा नही किया जा सकता जिसकी विवेचना तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय में कहीं नही किया है। निर्णय अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से हम सहमत हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व0 अरविन्द कुमार के विधिक वारिसान को सुने बिना ही पुश्तेनी आराजी बाबत निर्णय दिया गया है। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार झालरापाटन द्वारा मिसल न0 15/08 में दिनांकः 12.05.2008 को पारित निर्णय उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार झालरापाटन का निर्णय दिनांक 12.05.2008 निरस्त किया जाता है उक्त निर्णय निरस्त होने से निर्णय की पालना में नायब तहसीलदार असनावर द्वारा ग्राम पनवासा का नामान्तरकरण संख्या 486 दिनांक 22.12.2010 व ग्राम आकोदिया का नामान्तरकरण संख्या 413 दिनांक 23.12.2010 स्वतः ही निरस्त होगें। प्रकरण तहसीलदार असनावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्तानुसार ग्राम पनवासा का नामान्तरकरण संख्या 486 व ग्राम आकोदिया का नामान्तरकरण संख्या 413 में निरस्तीकरण का नोट अंकन कर उक्त आराजी बाबत स्व0 अरविन्द कुमार के विधिक वारिसान को पत्रावली पर लेकर, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए व स्व0 अरविन्द कुमार द्वारा दिनांकः 26.03.2006 को पुश्तेनी आराजी की वसीयत मात्र 02 पुत्र व पत्नी के पक्ष में किये जाने की वैधानिकता को दृष्टिगत रखते हुए बाद सुनवाई पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की एक–एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों में सलंग्न की जावे तथा प्रति अधीनस्थ न्यायालय झालरापाटन की पत्रावली के संलग्न भिजवाई जावे व एक प्रति तहसीलदार असनावर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़